

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 15.12.2011


आज्ञा

श्री परसराम मोरदिया, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री परसराम मोरदिया को केबिनेट मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री मोरदिया को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश जो भी पूर्व हो तक की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वहन किया जायेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ० आर०पी०जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


विशेषाधिकारी,

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
- 2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 3- समस्त अति० मुख्य सचिव
- 4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
- 6- समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
- 7- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
- 8- समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
- 10- वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/संसदीय सचिवगण
- 11- निजी सचिव, मुख्य सचिव
- 12- आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
- 13- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 14- नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
- 15- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।


विशेषाधिकारी,

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।


विशेषाधिकारी,